(वाद सं0.-2055/19)

27.08.2020

प्रसंगाधीन मामला एक सरकारी शिक्षक, राजू कुमार वर्मा द्वारा अपनी पत्नी (परिवादी गीता देवी) को प्रताड़ित करने तथा उसका भरणपोषण नहीं करने के कारण उनके विरूद्ध विभागीय कार्रवाई प्रारंभ किये जाने से संबंधित है।

उक्त के संबंध **सहायक पुलिस अधीक्षक, बाढ, पटना** द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि परिवादी के परिवाद पत्र में उल्लेखित तथ्यों से संबंधित आवेदन पर उसके पति और अन्य व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 498(ए)/341/323/504/34 के अंतर्गत बाढ़ थाना कांड सं0 291/15 संस्थित किया गया जिसमे पुलिस द्वारा अनुसंधानोपरान्त न्यायालय में **आरोप पत्र सं0 213/18 समर्पित** किया जा चुका है तथा वर्तमान मे उक्त आपराधिक मामला न्यायालय मे विचारण हेतु लंबित है।

जहां तक उक्त आपराधिक मामले के आधार पर अभियुक्त सरकारी शिक्षक राजु कुमार वर्मा के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई प्रारभ्भ किये जाने का प्रश्न है ? **इस संबंध में जिलाधिकारी, पटना अपने स्वविवेक पर परिवादी के पति के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई किये जाने की आयोग द्वारा अनुशंसा की जा रही है। वैसे परिवादी अपने भरण पोषण हेतु परिवार न्यायालय में विधिन्सार याचिका दाखिल कर वांछित अनुतोष प्राप्त कर सकती है।**

कार्यालय आज पारित आदेश तथा वरीय पुलिस, अधीक्षक, पटना के प्रतिवेदन (पृष्ठ–8/प0–10/प0), की प्रति संलग्न कर तद्नुसार कार्रवाई करने हेतु जिलाधिकारी, पटना को पत्र निर्गत करते हुए उसकी प्रति परिवादी गीता देवी को सूचनार्थ दे दी जाय।

उक्त के आलोक मे प्रसंगाधीन मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में ना पाकर प्रस्तुत संचिका को आयोग के स्तर पर संचिकास्त किया जाता है।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

सहायक निबंधक